



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052026-272463
CG-DL-E-12052026-272463

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 313]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

सा.का.नि. 347(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (समूह 'ग' और 'घ' पदों) भर्ती नियम, 2006 का उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में निश्चित पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (समूह 'ख' और समूह 'ग') भर्ती नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएँ, आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ तथा उससे संबंधित अन्य बातें वें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद |
|-----------|--|---|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. सहायक | 03* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (₹35400- 112400)। | अचयन। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो |
|---|--|--|--|
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रोन्नतों के लिए दो वर्ष, इस शर्त के अधीन होगी कि सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की आज्ञापक प्रशिक्षण अवधि पूर्ण की जाए। |

| भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों |
|---|--|--|---------------------------------|
| | | | |

| प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | | | में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|--|--|
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| <p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।</p> | <p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (₹25500-81100) में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने इस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरा कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति या आमेलन:</p> <p>(क) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हों; अथवा</p> <p>(ख) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (₹29200-92300) में या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा</p> <p>(ग) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (₹25500-81100) में या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> | <p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; 2. उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य। | <p>लागू नहीं होता।</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4: केवल केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारीगण ही आमेलन हेतु पात्र होंगे।</p> | | |
|--|--|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------------------|---|---|--|-----------------|
| 2. हिंदी अनुवादक | 01* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35400-112400)। | लागू नहीं होता। |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|--|----------------|---|
| <p>अठारह वर्ष और सत्ताईस वर्ष के मध्य (दोनों अंतर्विष्ट) (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के संदर्भ में चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (और</p> | <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें स्नातक स्तर पर अंग्रेजी या हिंदी मुख्य विषय रहा हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी मुख्य विषय रहे हो;</p> <p>या</p> | लागू नहीं होता | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, इस शर्त के अधीन होगी कि सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की आज्ञापक प्रशिक्षण अवधि पूर्ण की जाए। |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चंबा-जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्यक्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> | <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी हो तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी या हिंदी मुख्य विषय रहा हो;</p> <p>या</p> <p>हिंदी या अंग्रेजी अथवा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी हो तथा स्नातक स्तर पर हिंदी या अंग्रेजी मुख्य विषय अथवा परीक्षा का माध्यम रहा हो;</p> <p>या</p> <p>स्नातक उपाधि जिसमें हिंदी और अंग्रेजी मुख्य विषय हों, अथवा इनमें से एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा मुख्य विषय हो, साथ ही हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और विलोमतः में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और विलोमतः में दो वर्षों का कार्यानुभव।</p> | | |
|--|--|--|--|

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--|---|--|------------------------|
| <p>सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन द्वारा</p> | <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अथवा आमेलन:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन कर्मचारीगण:</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृशपद धारित करते हों; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (₹29200-92300) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (₹25500-81100) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथावश्यक शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या</p> | <p>विभागीय परिवीक्षा समिति (परिवीक्षा के संबंध में विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; 2. उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य। | <p>लागू नहीं होता।</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: केवल केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारीगण ही आमेलन हेतु पात्र होंगे।</p> | | |
|--|---|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------------------|---|---|--|-----------------|
| 3. उर्दू अनुवादक | 01*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35400-112400)। | लागू नहीं होता। |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|--|--|----------------|---|
| <p>अठारह वर्ष और सत्ताईस वर्ष के मध्य (दोनों अंतर्विष्ट) (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के संदर्भ में चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चंबा-जिले के पांगी उपखंड</p> | <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें स्नातक स्तर पर अंग्रेजी या उर्दू मुख्य विषय रहा हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें स्नातक स्तर पर उर्दू और अंग्रेजी मुख्य विषय रहे हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें माध्यम उर्दू या अंग्रेजी हो तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी या उर्दू मुख्य विषय रहा हो;</p> <p>या</p> <p>उर्दू या अंग्रेजी अथवा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें माध्यम उर्दू या अंग्रेजी हो तथा स्नातक स्तर पर उर्दू या अंग्रेजी मुख्य विषय अथवा परीक्षा का माध्यम रहा हो;</p> <p>या</p> | लागू नहीं होता | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, इस शर्त के अधीन होगी कि सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की आज्ञापक प्रशिक्षण अवधि पूर्ण की जाए। |

| | | | |
|--|---|--|--|
| और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) | स्नातक उपाधि जिसमें उर्दू और अंग्रेजी मुख्य विषय हों, अथवा इनमें से एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा मुख्य विषय हो, साथ ही उर्दू से अंग्रेजी अनुवाद और विलोमतः में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में उर्दू से अंग्रेजी अनुवाद और विलोमतः में दो वर्षों को कार्यानुभव। | | |
|--|---|--|--|

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|--|--|-----------------|
| सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन द्वारा | <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अथवा आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ-राज्यक्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन कर्मचारीगण:</p> <p>(क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हों; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (₹29200-92300) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (₹25500-81100) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथावश्यक शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | <p>विभागीय परिवीक्षा समिति (परिवीक्षा के संबंध में विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; 2. उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य। | लागू नहीं होता। |

| | | |
|--|--|--|
| | टिप्पण 3: केवल केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारीगण ही आमेलन हेतु पात्र होंगे। | |
|--|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------------------------|--|--|--|-------|
| 4. आशुलिपिक ग्रेड – 'ग' | 02* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35400-112400)। | अचयन। |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रोन्नतों के लिए दो वर्ष, इस शर्त के अधीन होगी कि सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की आज्ञापक प्रशिक्षण अवधि पूर्ण की जाए। |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--|--|--|-----------------|
| प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन द्वारा | <p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (₹25500-81100) में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के आशुलिपिक ग्रेड – 'घ' जिन्होंने इस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरा कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अथवा आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ-राज्यक्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन कर्मचारीगण:</p> | <p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; 2. उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य। | लागू नहीं होता। |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>(क) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हों; अथवा</p> <p>(ख) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (₹29200-92300) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा</p> <p>(ग) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (₹25500-81100) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4: केवल केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारीगण ही आमेलन हेतु पात्र होंगे।</p> | | |
|--|--|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------------|---|---|--|-------|
| 5. लेखाकार | 01*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35400-112400)। | अचयन। |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रोन्नतों के लिए दो वर्ष, इस शर्त के अधीन होगी कि सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की आज्ञापक प्रशिक्षण अवधि पूर्ण की जाए। |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--|--|---|-----------------|
| प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति | प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (₹25500-81100) में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रवर श्रेणी | विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार | लागू नहीं होता। |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>(अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन द्वारा</p> | <p>लिपिक जिन्होंने इस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। (प्रोन्नति के बाद, इस पद पर नियुक्त व्यक्ति को सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान में नकद एवं लेखा कार्य का प्रशिक्षण लेना होगा, यदि उसने पहले नकद एवं लेखा कार्य का प्रशिक्षण नहीं लिया है।)</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरा कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अथवा आमेलन:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ-राज्यक्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन कर्मचारीगण:</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हों; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (₹29200-92300) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (₹25500-81100) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान से नकद और लेखा कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा किसी संगठित लेखा</p> | <p>करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; 2. उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य। | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>विभाग द्वारा आयोजित एस.ए.एस. या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4: केवल केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारीगण ही आमेलन हेतु पात्र होंगे।</p> | | |
|--|--|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------------------|--|--|--|-----------------|
| 6. अनुसंधान सहायक | 06* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35400-112400)। | लागू नहीं होता। |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|--|-----------------|---|
| अठारह वर्ष और सत्ताईस वर्ष के मध्य (दोनों अंतर्विष्ट) (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के संदर्भ में चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) | <p>आवश्यक: सामाजिक विज्ञान अथवा विधि अथवा सांख्यिकी में स्नातक उपाधि (अधिमानत: ऑनर्स)।</p> <p>वांछनीय: (क) विधि में उपाधि; (ख) किसी सरकारी विभाग अथवा प्रतिष्ठित संगठन में अनुसंधान सहायक के रूप में दो वर्षों का अनुभव।</p> | लागू नहीं होता। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, इस शर्त के अधीन होगी कि सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की आज्ञापक प्रशिक्षण अवधि पूर्ण की जाए। |
| टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (और न कि वह अंतिम तारीख | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चंबा-जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) | (एक पद के लिए उर्दू का ज्ञान आवश्यक है।) | | |
|---|--|--|--|

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--|--|--|-----------------|
| सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन द्वारा। | <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अथवा आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ-राज्यक्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन कर्मचारीगण:</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (₹29200-92300) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (₹25500-81100) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथावश्यक शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | <p>विभागीय परिवीक्षा समिति (परिवीक्षा के संबंध में विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; 2. उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य। | लामू नहीं होता। |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | टिप्पण 3: केवल केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारीगण ही आमेलन हेतु पात्र होंगे। | | |
|--|--|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------------------------|--|---|--|-----------------|
| 7. आशुलिपिक ग्रेड - 'घ' | 02* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (₹25500-81100) | लागू नहीं होता। |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|--|-----------------|---|
| अठारह वर्ष और सत्ताईस वर्ष के मध्य (दोनों अंतर्विष्ट) (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के संदर्भ में चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चंबा-जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) | आवश्यक : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता। (ख) आशुलेखन की गति (अंग्रेजी या हिन्दी) में 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण गति 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट। वांछनीय : कंप्यूटर का ज्ञान। | लागू नहीं होता। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, इस शर्त के अधीन होगी कि सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की आज्ञापक प्रशिक्षण अवधि पूर्ण की जाए। |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--|--|--|-----------------|
| सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन द्वारा। | प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अथवा आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ-राज्यक्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन कर्मचारीगण: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 | विभागीय परिवीक्षा समिति (परिवीक्षा के संबंध में विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; | लागू नहीं होता। |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>(₹19900-63200) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथावश्यक शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित</p> <p>किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: केवल केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारीगण ही आमेलन हेतु पात्र होंगे।</p> | <p>2. उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य;</p> <p>3. अवर सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य;</p> <p>4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य।</p> | |
|--|--|---|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 8. आशुलिपिक ग्रेड - 'घ' (उर्दू) | 01* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (₹25500-81100) | लागू नहीं होता। |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|-----------------|---|
| <p>अठारह वर्ष और सत्ताईस वर्ष के मध्य (दोनों अंतर्विष्ट) (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के संदर्भ में चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति</p> | <p>आवश्यक :</p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता।</p> <p>(ख) उर्दू में आशुलेखन की गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण गति 35 शब्द प्रति मिनट और उर्दू में टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट।</p> <p>वांछनीय : कंप्यूटर का ज्ञान।</p> | लागू नहीं होता। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, इस शर्त के अधीन होगी कि सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की आज्ञापक प्रशिक्षण अवधि पूर्ण की जाए। |

| | | | |
|--|--|--|--|
| जिला और चंबा-जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) | | | |
|--|--|--|--|

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|--|--|-----------------|
| सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन द्वारा | <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अथवा आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ-राज्यक्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन कर्मचारीगणः (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (₹19900-63200) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथावश्यक शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: केवल केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारीगण ही आमेलन हेतु पात्र होंगे।</p> | <p>विभागीय परिवीक्षा समिति (परिवीक्षा के संबंध में विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; 2. उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य। | लागू नहीं होता। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----------------------|------------|---------------------------------|---|-----------------|
| 9. प्रवर श्रेणी लिपिक | 04* (2026) | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' | वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (₹25500-81100) | लागू नहीं होता। |

| | | | | |
|--|--|------------------------|--|--|
| | *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | अराजपत्रित, अनुसचिवीया | | |
|--|--|------------------------|--|--|

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| | | | |
|---|--|--|-----------------|
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा। | <p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (₹19900-63200) में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने इस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति या आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन कर्मचारीगण:</p> <p>(क) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हों; अथवा (ख) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (₹19,900-63,200) में या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> | <p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; 2. उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य। | लागू नहीं होता। |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4: केवल केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारीगण ही आमेलन हेतु पात्र होंगे।</p> | | |
|--|--|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|----------------------|--|--|---|------|
| 10. अवर श्रेणी लिपिक | 02* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीया। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (₹19900-63200) | अचयन |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|--|-----------------|---|
| अठारह वर्ष और सत्ताईस वर्ष के मध्य (दोनों अंतर्विष्ट) (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के संदर्भ में चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) | <p>आवश्यक:</p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं उत्तीर्ण अथवा समकक्षा।</p> <p>(ख) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में तीस शब्द प्रति मिनट टंकण गति।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>कंप्यूटर का ज्ञान।</p> | लागू नहीं होता। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, इस शर्त के अधीन होगी कि सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की आज्ञापक प्रशिक्षण अवधि पूर्ण की जाए। |
| टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चंबा-जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) | | | |
|--|--|--|--|

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|--|--|------------------------|
| <p>(क) सीधी भर्ती द्वारा पचास प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन द्वारा; तथा</p> <p>(ख) प्रोन्नति द्वारा पचास प्रतिशत।</p> | <p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (₹18000-56900) में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बहु कार्यकारी कर्मचारी जिन्होंने इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथावश्यक अर्हतायें रखते हों।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अथवा आमेलन: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन कर्मचारीगण:</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हों हैं; अथवा</p> | <p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; 2. उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य। | <p>लागू नहीं होता।</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>(ii) वे बहु कार्यकारी कर्मचारी जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति पश्चात् वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (₹18000-56900) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन यथाउल्लिखित अर्हताएं रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4: केवल केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारीगण ही आमेलन हेतु पात्र होंगे।</p> | | |
|--|---|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----------------|--|--|---|-------|
| 11. सवार हरकारा | 01* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (₹19900-63200)। | अचयन। |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|--|--|-----------------|---|
| अठारह वर्ष और सत्ताईस वर्ष के मध्य (दोनों अंतर्विष्ट) (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के संदर्भ में चालीस वर्ष की | आवश्यक : (क) मैट्रिक या समकक्ष; (ख) मोटर साईकिल या ऑटो रिकशा या एलएमवी के लिए वैध चालक अनुज्ञप्ति धारक; | लागू नहीं होता। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों अथवा पुनर्नियोजन के लिए दो वर्ष, इस शर्त के अधीन होगी कि सुसंगत क्षेत्र में कम से |

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>आयु तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चंबा-जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> | <p>(ग) मोटर साईकिल या ऑटो रिक्शा चलाने में दो साल का अनुभव;</p> <p>(घ) मोटर साईकिल या ऑटो रिक्शातंत्र का ज्ञान;</p> <p>(वाहनों में छोटी-मोटी खराबी को दूर करने में उम्मीदवारों को सक्षम होना चाहिए)।</p> <p>वांछनीय: गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक आदि के रूप में अनुभव।</p> | | <p>कम दो सप्ताह की आज्ञापक प्रशिक्षण अवधि पूर्ण की जाए।</p> |
|---|---|--|---|

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|--|---|------------------------|
| <p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>सशस्त्र बल हेतु: प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन</p> | <p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (₹18000-56900) में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बहु कार्यकारी कर्मचारी जिन्होंने इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथाउल्लिखित अपेक्षित अर्हता रखते हों।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगापरंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> | <p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; 2. उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्या। | <p>लागू नहीं होता।</p> |

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अथवा आमेलन:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन कर्मचारीगण:

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृशपद धारित करते हैं; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (₹18000-56900) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) स्तंभ (7) के अधीन यथाउल्लिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

भूतपूर्व सैनिकों हेतु: प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन:

ऐसे सशस्त्र बल के कार्मिक, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं अथवा रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ (7) में विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हैं, उनके संबंध में भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर रखा जाएगा जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र बल से मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बनाए रखा जा सकता है।

टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| | | |
|--|---|--|
| | टिप्पण 4: केवल केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारीगण ही आमेलन हेतु पात्र होंगे। | |
|--|---|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--------------------|---|--|---|--|
| 12. स्टाफ कार चालक | 10* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। साधारण ग्रेड: 03 द्वितीय ग्रेड: 03 प्रथम ग्रेड: 03 विशेष ग्रेड: 01 | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (₹19900-63200) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (₹25500-81100) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (₹29200-92300) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35400-112400) | लागू नहीं होता अचयन अचयन अचयन |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|--|---|-----------------|---|
| <p>अठारह वर्ष और सत्ताईस वर्ष के मध्य (दोनों अंतर्विष्ट) (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के संदर्भ में चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चंबा-जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के</p> | <p>आवश्यक:</p> <p>(क) मोटरकारों के लिए वैध चालक अनुज्ञप्ति धारक।</p> <p>(ख) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान। (अभ्यर्थी वाहन में छोटे-मोटे दोषों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए।)</p> <p>(ग) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव।</p> <p>(घ) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>गृह रक्षक अथवा नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्षों की सेवा।</p> <p>टिप्पण: अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान होता है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित</p> | लागू नहीं होता। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों अथवा पुनर्नियोजित के लिए दो वर्ष, इस शर्त के अधीन होगी कि सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की आज्ञापक प्रशिक्षण अवधि पूर्ण की जाए। |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) | अनुभव रखने वाले संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेकाधिकार से, अनुभव संबंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। (द्वितीय ग्रेड, प्रथम ग्रेड और विशेष ग्रेड पर लागू नहीं होगा।) | | |
|-------------------------------------|--|--|--|

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--|---|--|------------------------|
| <p>1. साधारण ग्रेड: प्रतिनियुक्ति या आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>भूतपूर्व सैनिक: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन</p> | <p>साधारण ग्रेड के लिए प्रतिनियुक्ति या आमेलन: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में वे नियमित सवार हरकारा और समूह 'ग' के कर्मचारीगण जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (₹18000-56900) में कार्यरत हैं तथा जिनके पास मोटर कार चलाने की वैध चालक अनुज्ञप्ति है, और जिनकी क्षमता का आकलन चालन सक्षमता परीक्षण द्वारा किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर, अन्य मंत्रालयों या केंद्रीय सरकार के विभागों या कार्यालयों में नियमित आधार पर सवार हरकारा के पद पर कार्यरत कर्मचारीगण अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (₹18000-56900) में नियमित समूह 'ग' कर्मचारीगण, जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएँ और अनुभव पूरी करते हों, पर विचार किया जाएगा।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों हेतु: प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन: ऐसे सशस्त्र बल के कार्मिक, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं अथवा रिज़र्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और अर्हताएँ हैं, उनके संबंध में भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर रखा जाएगा जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र बल से मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बनाए रखा जा सकता है।</p> | <p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; 2. उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य। | <p>लागू नहीं होता।</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>द्वितीय ग्रेड: प्रोन्नति द्वारा</p> | <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>द्वितीय ग्रेड में प्रोन्नति: स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) में नौ वर्ष की नियमित सेवा तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण की हो।</p> | | |
| <p>प्रथम ग्रेड: प्रोन्नति द्वारा</p> | <p>प्रथम ग्रेड में प्रोन्नति: स्टाफ कार चालक (द्वितीय ग्रेड) में छह वर्ष की नियमित सेवा अथवा साधारण श्रेणी और द्वितीय ग्रेड में संयुक्त रूप से पंद्रह वर्ष की सेवा तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण की हो।</p> | | |
| <p>विशेष ग्रेड: प्रोन्नति द्वारा</p> | <p>विशेष श्रेणी में प्रोन्नति: स्टाफ कार चालक (प्रथम ग्रेड) में तीन वर्ष की नियमित सेवा तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण की हो।</p> | | |
| | <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|----------------------------|--|--|---|-----------------|
| 13. बहु कार्यकारी कर्मचारी | 13* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीया। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (₹18000-56900)। | लागू नहीं होता। |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|--|-----------------|---|
| अठारह वर्ष और सत्ताईस वर्ष के मध्य (दोनों अंतर्विष्ट) (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के संदर्भ में चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चंबा-जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) | मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण। | लागू नहीं होता। | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, इस शर्त के अधीन होगी कि सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की आज्ञापक प्रशिक्षण अवधि पूर्ण की जाए। |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|-------------|-----------------|--|-----------------|
| सीधी भर्ती। | लागू नहीं होता। | विभागीय परिवीक्षा समिति (परिवीक्षा के संबंध में विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; 2. उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - सदस्य; 4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सदस्य। | लागू नहीं होता। |

[फा. सं. 1-8/2019-आईएम(एनसीएम)-एमओएमए]

श्यामा प्रासद राए, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

G.S.R. 347 (E).—In exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 15 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), and in supersession of the National Commission for Minorities (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2006, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain posts in the National Commission for Minorities, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the National Commission for Minorities (Group 'B' and C' posts) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person,-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with such person shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Casts, the Schedule Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post. | Number of posts. | Classification. | Level in Pay Matrix. | Whether selection or non-selection post. |
|----------------------|--|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Assistant. | 03* (2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial. | Level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix. | Non-selection. |

| Age-limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. |
|--------------------------------|--|--|--|
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Two years for promotees, subject to completion of mandatory training of at least two weeks duration in relevant field. |

| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|--|--|--|
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| By Promotion, failing which by Deputation or Absorption. | <p>Promotion: Promotion from Upper Division Clerk in the National Commission for Minorities in level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with ten years' regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered from promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Deputation or absorption from officials under the Central Government or the State Governments or the Union Territory Administration or Public Sector Undertakings:</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(b) with six years' regular service in level 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent rendered after appointment thereto in the parent cadre or department; or</p> <p>(c) with ten years' regular service in the level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent rendered after appointment thereto in the parent cadre or department.</p> | <p>Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson; 2. Deputy Secretary, National Commission for Minorities - Member; 3. Under Secretary, National Commission for Minorities - Member; 4. Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member. | Not applicable. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: Only officials of Central Government or State Governments are eligible for absorption.</p> | | |
|--|---|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|----------------------|--|--|--|-----------------|
| 2. Hindi Translator. | 01* (2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix. | Not applicable. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|-----------------|--|
| <p>Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those living in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, and Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).</p> | <p>Master's degree of a recognised University in Hindi or English with English or Hindi as a main subject at degree level;</p> <p>or</p> <p>Master's degree of a recognised University in any subject with Hindi and English as main subjects at degree level;</p> <p>or</p> <p>Master's degree of a recognized University in any subject with Hindi or English medium, and English or Hindi as a main subject at degree level;</p> <p>or</p> <p>Master's degree in Hindi or English or in any other subject with Hindi or English medium, with English or Hindi as a main subject or medium of examination at degree level;</p> <p>or</p> <p>Bachelor's degree with Hindi and English as main subjects or either of the two a medium of examination and the other as a main subject plus recognised Diploma Certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years'</p> | Not applicable. | Two years for direct recruits, subject to completion of mandatory training of at least two weeks duration in relevant field. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | experience of translation work from Hindi to English and <i>vice versa</i> in Central Government or State Government offices, including Public sector undertaking. | | |
|--|--|--|--|

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--|--|--|-----------------|
| Direct Recruitment, failing which by Deputation (including Short-term Contract) or Absorption. | <p>Deputation (including Short-term Contract) or Absorption: Officials under the Central Government or the State Governments or the Union Territory Administration or Public Sector Undertakings:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' regular service in level 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent rendered after appointment in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' regular service in the level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent rendered after appointment in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational and other qualification as required for Direct Recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: Only officials of Central Government or State Governments are eligible for absorption.</p> | <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson; 2. Deputy Secretary, National Commission for Minorities - Member; 3. Under Secretary, National Commission for Minorities - Member; 4. Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member. | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------------|--|--|---|-----------------|
| 3. Urdu Translator. | 01* (2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix. | Not applicable. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|--|-----------------|--|
| Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). | Master's degree of a recognized University in Urdu or English with English or Urdu as a main subject at degree level; or Master's degree of a recognized University in any subject with Urdu and English as main subjects at degree level; or | Not applicable. | Two years for direct recruits, subject to completion of mandatory training of at least two weeks duration in relevant field. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those living in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, and Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).</p> | <p>Master's degree of a recognized University in any subject with Urdu or English medium, and English or Urdu as a main subject at degree level; or Master's degree in Urdu or English or any other subject with Urdu or English medium, with Urdu or English as a main subject or medium of examination at degree level; or Bachelor's degree with Urdu and English as main subjects or either of the two a medium of examination and the other as a main subject plus recognised Diploma Certificate course in translation from Urdu to English and <i>vice-versa</i> or two years' experience of translation work from Urdu to English and <i>vice-versa</i> in Central Government or State Government offices, including public sector undertaking.</p> | | |
|---|---|--|--|

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|--|--|------------------------|
| <p>Direct Recruitment, failing which by Deputation (including Short-term Contract) or Absorption.</p> | <p>Deputation (including Short-term Contract) or Absorption: Officials under the Central Government or the State Governments or the Union Territory Administration or Public Sector Undertakings:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' regular service in level 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent rendered after appointment in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' regular service in the level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent rendered after appointment in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational and other qualification as required for Direct Recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: Only officials of Central Government or State Governments are eligible for absorption.</p> | <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson; 2. Deputy Secretary, National Commission for Minorities - Member; 3. Under Secretary, National Commission for Minorities - Member; 4. Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member. | <p>Not applicable.</p> |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------------|--|--|--|----------------|
| 4. Steno Grade 'C'. | 02* (2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial. | Level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix. | Non-selection. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Two years for promotees, subject to completion of mandatory training of at least two weeks duration in relevant field. |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--|--|--|-----------------|
| By Promotion, failing which by Deputation (including Short-term Contract). | <p>Promotion: Stenographer Grade 'D' in the National Commission for Minorities in level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered from promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including Short-term Contract): Officials under the Central Government or the State Governments or the Union Territory Administration or Public Sector Undertakings; (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (b) with six years' regular service in level 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent rendered after appointment in the parent cadre or department; or (c) with ten years' regular service in the level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent rendered after appointment in the parent cadre or department.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be consideration for appointment by promotion. Note 2: The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department</p> | <p>Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson; 2. Deputy Secretary, National Commission for Minorities - Member; 3. Under Secretary, National Commission for Minorities - Member; 4. Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member. | Not applicable. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. | | |
|--|--|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|----------------|--|--|--|----------------|
| 5. Accountant. | 01* (2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial. | Level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix. | Non-selection. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Two years for promotees, subject to completion of mandatory training of at least two weeks duration in relevant field. |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--|---|---|-----------------|
| By Promotion, failing which by Deputation (including Short-term Contract) or Absorption. | <p>Promotion: Upper Division Clerk in the National Commission for Minorities in level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with ten years' regular service in the grade. (After promotion the incumbent to this post will have to undergo training in Cash and Accounts Work in the institute of Secretariat Training and Management if he has not previously undertaken training in Cash and Account work).</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered from promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including Short-term Contract) or Absorption: Officials under the Central Government or the State Governments or the Union territory Administration or Public Sector Undertakings: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' regular service in level 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent rendered after appointment in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' regular service in the level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent rendered after appointment in the parent cadre or department; and (b) have undergone training in cash and accounts from Institute of Secretariat Training and Management or have passed SAS or equivalent examination conducted by any of the organised Accounts Department of the Central Government.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for</p> | <p>Departmental Promotional Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson; 2. Deputy Secretary, National Commission for Minorities - Member; 3. Under Secretary, National Commission for Minorities - Member; 4. Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member. | Not applicable. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: Only officials of Central Government or State Governments are eligible for absorption.</p> | | |
|--|---|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------------------------|--|--|---|-----------------|
| 6. Research Assistant. | 06* (2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial. | Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix. | Not applicable. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|--|---|-----------------|--|
| <p>Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those living in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, and Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).</p> | <p>Essential: Bachelor's Degree (preferably Hons.) in Social Science or Law or Statistics.</p> <p>Desirable: (a) Degree in Law; (b) two years' experience of Research Assistance in Government Department or any organisation of repute. (for one Post, knowledge of Urdu Essential).</p> | Not applicable. | Two years for direct recruits, subject to completion of mandatory training of at least two weeks duration in relevant field. |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--|---|--|-----------------|
| Direct recruitment, failing which by Deputation (including Short-term Contract) or Absorption. | <p>Deputation (including Short-term Contract) or Absorption: Officials under the Central Government or the State Governments or the Union Territory Administration or Public Sector Undertakings:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' regular service in level 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent rendered after appointment thereto in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' regular service in the level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent rendered after appointment thereto in the parent cadre or department; and</p> | <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>1. Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson; 2. Deputy Secretary, National Commission for Minorities - Member;</p> | Not applicable. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>(b) possessing the educational and other qualification as required for Direct Recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: Only officials of Central Government or State Governments are eligible for absorption.</p> | <p>3. Under Secretary, National Commission for Minorities - Member;</p> <p>4. Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member.</p> | |
|--|--|---|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|----------------------------------|---|--|--|-----------------|
| 7. Stenographer Grade 'D'. | 02* (2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial. | Level 4 (Rs.25500- 81100) in the pay matrix. | Not applicable. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|-----------------|--|
| <p>Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those living in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, and Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).</p> | <p>Essential: (a) 12th Class pass or equivalent from a recognised Board or University. (b) A speed of 80 words per minute in Stenography (English or Hindi) and Typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer.</p> <p>Desirable: Knowledge of Computer.</p> | Not applicable. | Two years for direct recruits, subject to completion of mandatory training of at least two weeks duration in relevant field. |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--|---|---|-----------------|
| Direct recruitment, failing which by Deputation (including Short-term Contract) or Absorption. | <p>Deputation(including Short-term Contract) or Absorption: Officials under the Central Government or the State Governments or the Union Territory Administration or Public Sector Undertakings:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years' regular service in the level 2 (Rs.19900-63200) in pay matrix or equivalent rendered after appointment thereto in the parent cadre or department, and</p> | <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>1. Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson;</p> <p>2. Deputy Secretary, National Commission for Minorities</p> | Not applicable. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>(b) possessing the educational and other qualification as required for Direct Recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: Only officials of Central Government or State Governments are eligible for absorption.</p> | <p>- Member; 3. Under Secretary, National Commission for Minorities</p> <p>- Member; 4. Under Secretary, Ministry of Minority Affairs</p> <p>- Member.</p> | |
|--|--|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|--|--|--|-----------------|
| 8. Stenographer Grade 'D' (Urdu). | 01 * (2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial. | Level 4 (Rs.25500- 81100) in the pay matrix. | Not applicable. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|--|-----------------|--|
| <p>Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those living in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, and Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).</p> | <p>Essential: (a) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University; (b) a speed of 80 words per minute in Stenography in Urdu and Typing speed of 35 words per minute in English and 30 words per minute in Urdu on computer.</p> <p>Desirable: Knowledge of Computer.</p> | Not applicable. | Two years for direct recruits, subject to completion of mandatory training of at least two weeks duration in relevant field. |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--|---|--|-----------------|
| Direct recruitment, failing which by deputation (including short-term contract) or absorption. | <p>Deputation(including Short-term Contract) or Absorption: Officials under the Central Government or the State Governments or the Union Territory Administration or Public Sector Undertakings:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years' regular service in the level 2 (Rs.19900-63200) in pay matrix or equivalent rendered after appointment thereto in the parent cadre or department, and</p> | <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>1. Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson;</p> | Not applicable. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>(b) possessing the educational and other qualification as required for Direct Recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: Only officials of Central Government or State Governments are eligible for absorption.</p> | <p>2. Deputy Secretary, National Commission for Minorities - Member;</p> <p>3. Under Secretary, National Commission for Minorities - Member;</p> <p>4. Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member.</p> | |
|--|--|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--------------------------|--|--|--|-----------------|
| 9. Upper Division Clerk. | 04* (2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial. | Level 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix. | Not applicable. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--|--|---|-----------------|
| By Promotion, failing which by Deputation or Absorption. | <p>Promotion: Lower Division Clerk in the National Commission for Minorities in Level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix with eight years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered from promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation or Absorption: Officials under the Central Government or the State Governments or the Union Territory Administration or Public Sector Undertakings: (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (b) with eight years' regular service in the level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix or equivalent rendered after appointment thereto in the parent cadre or department.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the</p> | <p>Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>1. Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson;</p> <p>2. Deputy Secretary, National Commission for Minorities - Member;</p> <p>3. Under Secretary, National Commission for Minorities - Member;</p> <p>4. Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member.</p> | Not applicable. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>deputationists shall not be consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: Only officials of Central Government or State Governments are eligible for absorption.</p> | | |
|--|---|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------------------|--|--|---|----------------|
| 10. Lower Division Clerk. | 02* (2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial. | Level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix. | Non-selection. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|--|---|-----------------|--|
| <p>Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those living in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, and Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).</p> | <p>Essential:</p> <p>(a) 12th Pass or equivalent from a recognised Board.</p> <p>(b) typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer.</p> <p>Desirable:</p> <p>Knowledge of Computer.</p> | Not applicable. | Two years for direct recruits, subject to completion of mandatory training of at least two weeks duration in relevant field. |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|--|---|--|-----------------|
| <p>(a) 50% by direct recruitment failing which by deputation (including short term contract or Absorption); and</p> <p>(b) 50% by Promotion.</p> | <p>Promotion:</p> <p>Multi Tasking Staff in National Commission for Minorities in level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix having three years regular service in the grade and possessing qualification as required for Direct Recruits under column (7).</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered from promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> | <p>Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson; 2. Deputy Secretary, National Commission for Minorities - Member; 3. Under Secretary, National Commission for Minorities - Member; | Not applicable. |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>Deputation (including Short-term Contract) or Absorption: Officials under the Central Government or the State Governments or the Union Territory Administration or Public Sector Undertakings: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) Multi Tasking Staff in level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix, having three years regular service in the parent cadre or department; and (b) possessing qualifications as mentioned in column (7).</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be consideration for appointment by promotion. Note 2: The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: Only officials of Central Government or State Governments are eligible for absorption.</p> | 4. Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member. | |
|--|---|---|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------------|--|--|---|----------------|
| 11. Despatch Rider. | 01* (2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial. | Level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix. | Non-selection. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|--|-----------------|--|
| Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those living in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, and Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). | Essential: (a) Matriculation or equivalent; (b) possession of a valid driving license for Motor Cycles or Auto Rickshaw or LMV; (c) two years' experience in driving Motor Cycle or Auto Rickshaw; (d) Knowledge of Motor Cycle or Auto Rickshaw mechanism; (The candidates should be able to remove minor defects in the vehicles). Desirable: Experience as Home Guards, Civil Defence Volunteer etc. | Not applicable. | Two years in case of direct recruits or re-employment, subject to completion of mandatory training of at least two weeks duration in relevant field. |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|--|------------------------|
| <p>Promotion or Deputation (including Short-term Contract) or Absorption failing which by Direct Recruitment.</p> <p>For Armed Forces: Deputation or Re-employment.</p> | <p>Promotion: Multi Tasking Staff in the National Commission for Minorities in level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix with three years' regular service in the grade and possessing the requisite qualification for direct recruits as stated in column (7).</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered from promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including Short-term Contract) or Absorption: Officials under the Central Government or the State Governments or the Union Territory Administration or Public Sector Undertakings: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' regular service in level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing qualifications and experience as mentioned in column (7).</p> <p>For Ex- Servicemen: Deputation or Re-employment: The Armed Forces Personnel retired or due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed in column (7) shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other</p> | <p>Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson; 2. Deputy Secretary, National Commission for Minorities - Member; 3. Under Secretary, National Commission for Minorities - Member; 4. Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member. | <p>Not applicable.</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: Only officials of Central Government or State Governments are eligible for absorption.</p> | | |
|--|---|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--------------------------------|---|---|--|--|
| 12. Staff Car Driver. | <p>10* (2026)</p> <p>*Subject to variation dependent on workload.</p> <p>Ordinary Grade: 03</p> <p>Grade II: 03</p> <p>Grade I: 03</p> <p>Special Grade: 01</p> | <p>General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.</p> <p>General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.</p> <p>General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.</p> <p>General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.</p> | <p>Level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix.</p> <p>Level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix.</p> <p>Level 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix.</p> <p>Level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.</p> | <p>Not Applicable.</p> <p>Non-selection.</p> <p>Non-selection.</p> <p>Non-selection.</p> |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|--|--|-----------------|--|
| <p>18 to 27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those living in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, and Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).</p> | <p>Essential:</p> <p>(a) Possession of a valid driving license for Motor cars;</p> <p>(b) knowledge of Motor mechanism. (The candidates should be able to remove minor defects in the vehicles).</p> <p>(c) experience of driving a motor car for at least three years; and</p> <p>(d) 10th Standard pass from a recognised board.</p> <p>Desirable:</p> <p>Three years' service as Home Guards or Civil Defence Volunteer.</p> <p>Note: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. (Not applicable for Grade II, Grade I and Special Grade.)</p> | Not applicable. | Two years for direct recruits and re-employed, subject to completion of mandatory training of at least two weeks duration in relevant field. |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|--|--|------------------------|
| <p>1. Ordinary Grade: Deputation or Absorption failing which by Direct Recruitment.</p> <p>Ex-Servicemen: Deputation or Re-employment.</p> <p>2. Grade-II: By Promotion</p> <p>3. Grade-I: By Promotion</p> <p>4. Special Grade: By Promotion</p> | <p>Deputation or Absorption for Ordinary Grade: From amongst the regular Despatch Riders and Group 'C' officials in level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix in the National Commission for Minorities and Ministry of Minority Affairs who possess valid driving licence on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars, failing which, from officials holding the post of Despatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix in other Ministries or Department or Office of the Central Government who fulfill the necessary qualifications and experience as mentioned in column (7).</p> <p>For Ex-Servicemen: Deputation or Re-employment: The Armed Forces Personnel retired or due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note 1: The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Promotion to Grade-II: Nine years' of regular service in the grade of Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Government.</p> <p>Promotion to Grade-I: Six years' of regular service in the grade of Staff Car Driver (Grade-II) or combined service of 15 years in the Ordinary Grade & Grade-II and have passed the trade test, specified by the Government.</p> | <p>Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson; 2. Deputy Secretary, National Commission for Minorities - Member; 3. Under Secretary, National Commission for Minorities - Member; 4. Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member. | <p>Not applicable.</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Promotion to Special Grade: Three years' of regular service in the grade of Staff Car Driver (Grade-I) and have passed the trade test, specified by Government.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered from promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> | | |
|--|---|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--------------------------|--|--|---|-----------------|
| 13. Multi Tasking Staff. | 13* (2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial. | Level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix. | Not applicable. |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|-----------------|--|
| <p>Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those living in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, and Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).</p> | Matriculation or equivalent pass from a recognised Board. | Not applicable. | Two years for direct recruits, subject to completion of mandatory training of at least two weeks duration in relevant field. |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---------------------|-----------------|--|-----------------|
| Direct recruitment. | Not applicable. | <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson; 2. Deputy Secretary, National Commission for Minorities - Member; | Not applicable. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | 3. Under Secretary, National Commission for Minorities - Member; 4. Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member. | |
|--|--|--|--|

[F. No.1-8/2019-IM(NCM)-MoMA]

SHYAMA PRASAD ROY, Jt. Secy.